तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./7874/2007/करौली दामोदर बनाम प्यारबाई	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री बी.एल. गुप्ता, सदस्य

उपस्थितः–
श्री एल.एस. माथुर, अधिवक्ता प्रार्थीगण
श्री एन.के. गोयल, अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या–1
श्री एस.पी. ओझा, उपराजकीय अधिवक्ता, सरकार
श्री अनुज माथुर, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या– 3 से 6

दि. 01.03.13

निर्णय

प्रार्थीगण ने यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, मण्डरायल द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–7–2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

निगराधीन आदेश से उपखण्ड अधिकारी, मण्डरायल ने प्रार्थीगण प्रतिवादी संख्या– 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 10 सिविल प्रक्रिया संहिता को खारिज किया है।

उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस निगरानी पर भी सुनी गयी।

योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी संख्या–1 ने राजस्व वाद संख्या 15/2006 इस आधार पर प्रस्तुत किया था कि मृतक खातेदार चरण जो कि पूर्व खातेदार मूसे का दत्तक पुत्र था, उसने अप्रार्थी वादिया के पक्ष में एक वसीयत दिनांक 23–9–2005 को निष्पादित की है। अतः अप्रार्थी वादिया विवादित आराजी को अपने नाम घोषित कराने की अधिकारी है जबकि प्रार्थीगण प्रतिवादी का दीवानी वाद संख्या 20/2005 सिविल न्यायाधीश, करौली इन कथनो के साथ प्रस्तुत किया गया था कि चरण का मूसा के दत्तक पुत्र होने

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./7874/2007/करौली दामोदर बनाम प्यारबाई	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	का कोई प्रमाण नहीं होने से चरण का दत्तक पुत्र होना गलत घोषित किया जावे। इस प्रकार दोनों ही प्रकरणों में चरण का दत्तक पुत्र होने का प्रश्न विनिश्चत होना है। प्रार्थीगण द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थी संख्या–1 द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत पश्चात्वर्ती वाद की कार्यवाही को दीवानी न्यायालय में लम्बित पूर्ववर्ती वाद के निस्तारण तक स्थगित किये जाने की प्रार्थना की, जिसे विचारण न्यायालय द्वारा निरस्त कर विधिक त्रुटि कारित की गयी है। विधि का यह स्थापित सिद्धान्त है कि जब समान प्रकृति के सम्बन्ध में सिविल न्यायालय में मूल वाद विचाराधीन है तो पश्चातवर्ती वाद की कार्यवाही को पूर्ववर्ती वाद के निर्णय तक स्थगित रखा जाना न्यायोचित है। उपखण्ड अधिकारी ने विधि द्वारा स्थापित उक्त प्रावधान की अनदेखी करते हुए निगराधीन निर्णय पारित किया है। अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित निगराधीन निर्णय को निरस्त कर राजस्व वाद संख्या 15/2006 की कार्यवाही को दीवानी वाद संख्या 20/2005 के निस्तारण तक स्थगित रखा जावे। योग्य अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–1 ने अपनी बहस में कथन किया कि उनके पक्षकार द्वारा विवादित आराजी पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा वसीयत के आधार पर चाही गयी है। सिविल न्यायालय के समक्ष लम्बित वाद में वसीयत बाबत् कोई अभिवचन प्रार्थीगण द्वारा नहीं किया गया है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए उपखण्ड अधिकारी ने विधिसम्मत् आदेश पारित करते हुए प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को निरस्त किया है जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./7874/2007/करौली दामोदर बनाम प्यारबाई	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पूर्ववर्ती वाद प्रार्थी संख्या–1 दामोदर पुत्र कलुआ ने प्रतिवादी चरण उर्फ रामचरण, श्रीधर, प्यारबाई, जगदीश, भगवानसिंह, विष्णु तहसीलदार को पक्षकार बनाते हुए सिविल न्यायाधीश (व.ख.) करौली के न्यायालय में दिनांक 30–11–2005 को दावा घोषणा, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का विवादित सम्पत्ति खसरा नम्बर 84, 85 व 117 बाबत् प्रस्तुत किया गया, जिसमें मुख्य रूप से यह कथन किया गया कि चरण उर्फ रामचरण स्वर्गीय मूसे पुत्र सालिगराम का दत्तक पुत्र नहीं है। अतः विवादित आराजी में वादी का 1/3 हिस्सा घोषित कर बंटवारा किया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। इसी प्रकार पश्चात्वर्ती वाद उपखण्ड अधिकारी, मण्डरायला के न्यायालय में अप्रार्थी संख्या–1 वादी प्यारबाई द्वारा दामोदर, नन्दकुमार, ओमप्रकाश, मु. दुर्गी, मु. पुष्पा, मु. लीला एवं तहसीलदार को प्रतिवादी के रूप में पक्षकार बनाते हुए विवादित आराजी खसरा नम्बर 84 एवं 85 बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया, जिसमें मुख्य रूप से चरण दत्तक पुत्र मुसे द्वारा निष्पादित वसीयत दिनांक 19–9–2005 के आधार पर घोषणा की डिक्री चाही गयी। प्रस्तुत प्रकरण धारा 10 का उल्लेख करना उचित प्रतीत होता है, जो निम्न प्रकार है – 10- **Stay of suit.** No Court shall proceed with the trial of any suit in which the matter in issue is also directly and substantially in issue in a previously instituted suit between the same parties, or between parties under whom	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./7874/2007/करौली दामोदर बनाम प्यारबाई	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	they or any of them claim litigating under the same title where such suit is pending in the same or any other court in India having jurisdiction to grant the relief claimed, or in any Court beyond the limits of India established or continued by the Central Government and having like jurisdiction, or before the Supreme Court. " उक्त धारा के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि समान पक्षकारारों के मध्य समान विषय वस्तु को लेकर दो दावे विचाराधीन हो तो पश्चात्वर्ती दावे की कार्यवाही को पूर्ववर्ती दावे के निस्तारण तक स्थगित रखी जानी चाहिए। प्रस्तुत प्रकरण में सिविल न्यायालय में लम्बित पूर्ववर्ती वाद में यह तय होना है कि क्या चरण मूसे का दत्तक पुत्र था अथवा नहीं? विवादित आराजी मूसे से चरण को दत्तक पुत्र होने के नाते प्राप्त हुई है। यदि चरण मूसे का दत्तक पुत्र साबित होता है तभी उसके द्वारा निष्पादित वसीयत के आधार पर पश्चात्वर्ती वाद में वादी अप्रार्थी संख्या–1 को विवादित आराजी में अधिकार प्राप्त होगे। सिविल न्यायालय में लम्बित वाद संख्या 20/2005 इन्हीं पक्षकारों के मध्य विवादित आराजी बाबत् लम्बित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ने अप्रार्थी संख्या–1 वादी द्वारा प्रस्तुत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थनापत्र को इसी आधार पर खारिज किया है कि विवादित आराजी बाबत् सिविल न्यायालय में पूर्व से वाद विचाराधीन है, प्रार्थनापत्र पर आदेश पारित करने से वाद बाहुल्यता होगी। उक्त के परिप्रेक्ष्य में उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र को निरस्त कर विधिक त्रुटि कारित की गयी है। अतः पश्चात्वर्ती वाद की कार्यवाही को स्थगित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./7874/2007/करौली दामोदर बनाम प्यारबाई	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	परिणामतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, मण्डरायल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21–7–2007 को निरस्त किया जाता है। प्रार्थीगण प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 10 सिविल प्रक्रिया संहिता को स्वीकार किया जाकर पश्चात्वर्ती वाद संख्या 15/2006 बउनवान प्यारबाई बनाम दामोदर वगैराह की कार्यवाही को न्यायालय सिविल न्यायाधीश (व.ख.) करौली में लम्बित पूर्ववर्ती वाद संख्या 20/2005 बउनवान दामोदर बनाम चरण वगैराह के निस्तारण तक स्थगित रखी जाती है। निर्णय की सूचना उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण को दी जावे। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भेजी जावें। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(बी.एल. गुप्ता)** **सदस्य**	